दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मे जारी
12-11-16	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जबकि विपक्षी ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाब के आधार पर वाद पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम आवलाक तहसील मांडल में स्थित होकर मेघरलाल S/O हीरादास बैरागी साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी तार्ईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2069 से 2072 से होती है। प्रार्थी ने विवादित आराजियात आवंटन [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें प्रार्थी को आराजी [illegible]1406 में से 2 बीघा भूमि आवंटन हुई। आवंटन के पश्चात प्रार्थी को आराजी न० 1406 रकबा 2 बीघा भूमि सुपुर्दगी में दी गयी। जिसकी तार्ईद प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र व सुपुर्दगी नामा की फोटो प्रति से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को आराजी न० 1406 रकबा 2 बीघा भूमि आवंटन हुई। आवंटन के पश्चात 2 बीघा भूमि सुपुर्दगी में दी गयी। लेकिन प्रार्थी ने आराजी 1406 का रकबा बहत आवंटन के अमल [illegible] की जमाबंदी व नक्शा प्रस्तुत नहीं किया। तथा न ही प्रार्थी ने आवंटन के पश्चात का नक्शा ही प्रस्तुत किया। क्योंकि जिसके प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। तथा प्रार्थी को आवंटन भूमि की तरमीम नहीं की गयी है तथा प्रार्थी का विवादित आराजियात पर ही कब्जा काश्त [illegible] की स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाही गयी दादरसी की तार्ईद प्रस्तुत दस्तावेजों से नहीं होती है।	

उपखण्ड अधिकारी
जिला भील[illegible]

केस्म मुकदमा —————— बनाम ——————

नं. —————— सन् ——————

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ, अतः :: आदेश :: प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण प्रार्थनापत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला भीलवाड़ा	